

क्र. सं. १५/२०

सुरजमान / अमरापट्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
18/21	<p>वाही के प्रारंभ पर पर फावली पेडा है। वाही के प्रारंभ पर पेडा कर निर्देश सिद्धा कि पर अपने वाह को आगे जही चलाया या हल विद्वे कारण यह है वाही की फर्याद की रक्षण प्राप्त है। जे की (वाही को सुरा जमा (वाही का प्रारंभ पर रवोकार किया जाकर शारीर पर किया जाय। वाही अपने वाह को आगे जही चलाया या हल इलाकीर वाही का वाह सुरेज किया जाय है। फावली फेरना सुरा रोक गत्यर से काम से तप वाह तकलीम नोस आउर है।</p> <p style="text-align: right;">✍</p>	<p>सुरजमान</p> <p>Dr Romy</p>

